रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1975/आश्विन 25, 1897
No. 427] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1975/ASVINA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October 1975

In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance 1956 (31 of 1956), and in continuation of notification of the Government Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 439(E) dated 20th August, 1975, the Central Government hereby appoints Shri R. B. Pradhan as Chairman of the Life Insurance Corporation of India upto 25th September, 1976.

[No. F. 81(17) INS. II/74]

G. H. DAMLE,
Controller of Insurance and *Ex-officio* Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 603(अ)—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 439 (अ) तारीख 20 अगस्त, 1975 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार श्री आर० बी० प्रधान को 25 सितम्बर, 1976 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[फा० सं० 81(17)बीमा II/74]

जी० एच० दामले,

बीमा नियंत्रक और पदेन संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975